

ज़मीन की खरीद पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कृषि बागवानी उद्देश्यों के लिये बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बंदि:

- आधिकारिक वजिजपत्तिका अनुसार ज़िला मजसिद्रेट (DM) बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे।
- 22 दसिंबर, 2023 को सरकार ने भूमि कानूनो पर समति द्वारा प्रसतुत रिपोर्ट की वसितुत जाँच के लिये अतरिकित मुख् सचवि (गृहग्राधा रतूडी की अध्कषता में पाँच सदस्यीय समति) का गठन कयिा है।
- सरकार कथति तौर पर जनता की भावनाओ के अनुरूप कदम उठा रही है, जसि वह इस मामले में सर्वोपरिमानती है।
- सी. एम. धामी ने राज्य में औद्योगिक वकिस परयोजनाओ के लिये भूमि की आवश्यकता और वर्तमान में उत्तराखंड में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापति करने हेतु सफिरशिं करने के लिये एक उच्च स्तरीय समति का गठन कयिा था।
- जनता द्वारा वशिषिट मांगें उठाई जा रही हैं, जैसे क पिहाड़ी कषेत्रों में स्थापति सभी परयोजनाओ और उद्योगों में जहाँ भूमि अधगिरहण या खरीद अनविर्य है या भवषिय में की जाएगी, वहाँ 25% हसिसेदारी स्थानीय ग्रामीणों हेतु और 25% हसिसेदारी ज़िले के मूल नविसयिों के लिये सुनशिचति की जाए तथा इन परयोजनाओ में स्थानीय लोगों के लिये 80% रोज़गार सुनशिचति कयिा जाना चाहयि।
- यह सुनशिचति करने के लिये इन उपायों को लागू करना आवश्यक है क राज्य के संसाधनों जल (वाटर), जंगल (फारेस्ट), और ज़मीन (भूमि) पर पहला अधिकार मूल नविसयिों का है, ताक स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार सुनशिचति कयिा जा सके।